विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दल, चाहे वामपंथी हों, दक्षिण पंथी या मध्यमार्गी, सभी एक सुर में बोलते नजर आते हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पिछले 50 सालों में सांसदों के वेतन और भत्तें 90 गुना बढ़ गए हैं। यह लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है?

यह न केवल आर्थिक व्यवहार के नियमों का उल्लंघन है बल्कि प्रशासनिक विधान की भी अवहेलना है। किसी भी ऐसी आवश्यकता जिसके लिए सरकारी खजाने से धन जाता हो, उसकी जाँच व अनुमति का काम ऐसी इकाई को करना चाहिए जिस पर इन निर्णयों का सीधा प्रभाव न पड़ता हो। नियम बदलने के अधिकारों से लैस कुछ सौ लोग इनका इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए भी करने में नहीं हिचकते। दुनिया में कहीं भी संसदीय लोकतंत्र के अपहरण की इतनी घिनौनी मिसाल शायद ही कहीं मिलेगी।

पत्र के साथ संलग्न आंकड़ों पर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि सरकार हर महीने सांसदों को वेतन व भत्तों के रूप में लगभग 36,000 रुपये देती है, जिसमें से केवल 12,000 रुपये का वेतन ही आयकर के दायरे में आता है। इसे भी सरकारी बचत योजनाओं में थोड़े से निवेश से बचाया जा सकता है। सांसद दिल्ली में रहने के लिए नाममात्र का लायसेंस शुल्क अदा करते हैं जो इन आवासों की बाजार किराया दरों का नगण्य अंश है। यदि मुफ्त आवास, फोन कॉल्स (एसटीडी कॉल सहित) मोबाइल फोन, मुफ्त बिजली, पानी चिकित्सा सुविधा, निशुल्क उच्चतम श्रेणी की हवाई तथा रेल यात्रा का आर्थिक मूल्य जोड़ें तो एक सांसद पर मासिक खर्च कम-से-कम तीन लाख रुपये होता है। मोटे तौर पर यह एक भारतीय की सालाना प्रतिव्यक्ति आय का 150 गुना है। इसके अलावा कई अन्य प्रत्यक्ष खर्च भी है। (देखें तालिका)

वेतन अधिनियम के तहत सांसदों के मानदेय

क्र.सं.	01.06.1954 के अनुसार अथवा जबसे सुविधा लागू की गई	(रुपये में)
1. **(ए) वेतन**	400 प्रतिमाह	12,000.00 प्रतिमाह
(बी) निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	--	10,000.00
(सी) कार्यालय खर्च भत्ता	--	2,500.00
(डी) डाक खर्च	--	1,500.00
(इ) सचिवालयीन कामकाज हेतु निजी सहायक (प्रति माह)	--	10,000.00
2. **यात्रा भत्ता ***		
(ए) रेल मार्ग से	(ए) निर्धारित निवास स्थान से आने-जाने का यात्री किराया एक द्वितीय श्रेणी तथा एक तृतीय श्रेणी	(ए) प्रथम श्रेणी तथा एक द्वितीय श्रेणी यात्री किराया
(बी) हवाई भत्ता से	(बी) एक तथा हवाई	(बी) वहीं "

	किराए का एक-चौथाई मूल्य	
(सी) सड़क मार्ग से	(सी) आठ आना प्रति मील। जहां रेल सुविधा है, सड़क मार्ग भत्ता रेल मार्ग भत्ते के समान	(सी) आठ रुपये प्रति किमी. यदि दिल्ली से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं तो भी 300 किमी. के भीतर सड़क मार्ग भत्ते का दावा कर सकते हैं। दिल्ली से 300 किमी. के दायरे में स्थित सदस्य सड़क मार्ग भत्ते का दावा कर सकते हैं।
3. **दैनिक भत्ता ***	21 रुपये प्रतिदिन सत्र के तीन दिन पहले से दो दिन बाद तक। तथा समितियों की बैठक के दो दिन पहले व दो दिन बाद तक।	इसी तरह परंतु दैनिक भत्ता 500 रुपये प्रतिदिन की दर से।
4. **दूसरी सुविधा**		
(ए) हवाई यात्रा	(ए) हर सत्र के दौरान एक हवाई यात्रा भारत में एक स्थान से दूसरे तक और वापसी एयर लाइंस/एयर इंडिया 21.08.1969 से लागू लिये केरी ओवर सुविधा	(ए) 32 एक हवाई यात्रा** एक साल में आठ ऐसी यात्रायें मिला के एक अकेले व्यक्ति के के साथ
(बी) रेल पास (स्वयं)	(बी) एक मुफ्त अहस्तांतरणीय दूसरी श्रेणी पास (देश में कभी भी यात्रा के लिये)	(बी) स्वयं के लिये मुफ्त पति या पत्नी के साथ प्रथम श्रेणी एसी या एक्जिक्यूटिव श्रेणी में एक सहायक के साथ (दूसरी श्रेणी में)
(सी) रेल पास पत्नी के लिये	(सी) पत्नी की यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी में एक बार हर सत्र के दौरान (निवास से दिल्ली और वापसी 21.08.1969 से लागू)	(सी) अब प्रथम श्रेणी एसी में या एक्जिक्यूटिव श्रेणी में हर सत्र के दौरान एक बार निवास से दिल्ली और वापस
(डी) टेलीफोन	(डी) (1) (क) साल में 1800 मुफ्त कॉल की सुविधा के साथ दिल्ली में कार्यालय या आवास पर एक नि:शुल्क टेलीफोन	(डी) (1) साल में 50 हजार मुफ्त कॉल की सुविधा के साथ दो नि:शुल्क फोन, एक दिल्ली तथा दूसरा स्थाई निवास स्थान पर